अतिविशिष्ट व्यक्तियों के लिए हेलिकॉप्टरों का अधिग्रहण

विशिष्टताएं

भारतीय वायुसेना (आईएएफ) का संचार स्क्वाड्रन अतिविशिष्ट व्यक्तियों को हवाई परिवहन उपलब्ध कराने हेतु वायुयान एवं हेलिकॉप्टरों के एक बेड़े रखरखाव करता है। भारतीय वायुसेना ने इस स्क्वाड्रन में एमआई-8 हेलिकॉप्टरों का उनके कालप्रभावन और परिचालन परिसीमन के कारण हेलिकॉप्टरों के एक उन्नत रूपांतर के साथ प्रतिस्थापन करने का प्रस्ताव दिया (अगस्त 1999)। रक्षा मंत्रालय (एमओडी) ने ₹3726.96 करोड़ (यूरो 556,262,026) की कुल लागत पर 12 एडब्ल्यू-101 हेलिकॉप्टरों की अधिप्राप्ति के लिए मैसर्स अगस्ता वेस्टलैंड इंटरनैशनल लिमिटेड, यूके के साथ एक संविदा की (फरवरी 2010)। वीवीआईपी हेलिकॉप्टरों के अधिग्रहण की अनुपालन लेखापरीक्षा की गयी तथा लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्षों का उल्लेख नीचे किया गया है:

- विद्यमान एमआई-8 हेलिकॉप्टरों के प्रतिस्थापन के लिए मार्च 2002 मे जारी किए गए प्रारंभिक प्रस्ताव हेतु अनुरोध में 6000 मीटर की एक अनिवार्य ऊंचाई की आवश्यकता अनुबद्ध की गयी। ईएच-101 हेलिकॉप्टर (बाद में अगस्ता वेस्टलैंड के एडब्ल्यू-101 के रूप में पुनर्नामकरण किया गया) का क्षेत्रीय मूल्यांकन नहीं किया जा सका था, क्योंकि इसे केवल 4572 मीटर तक की ऊंचाई की उड़ान भरने के लिए प्रमाणित किया गया था। प्रथम प्रस्ताव हेतु अनुरोध को एक परिणामी एकल विक्रेता वाली स्थिति के आविर्भाव के कारण बाद में निरस्त कर दिया गया। 2006 में जारी परिशोधित प्रस्ताव हेतु अनुरोध में 6000 मीटर ऊंचाई की आवश्यकता संबंधी अनिवार्य सेवाओं की गुणात्मक आवश्यकता को कम करके 4500 मीटर कर दिया गया और कम से कम 1.8 मीटर की कैबिन ऊंचाई को शामिल किया गया। जहाँ कम से कम 1.8 मीटर की कैबिन ऊंचाई की अनिवार्य आवश्यकता ने प्रतिस्पर्धा को कम कर दिया, वहाँ ऊंचाई की आवश्यकता को कम करना, उत्तर और पूर्वोत्तर के अनेक क्षेत्रों में परिवहन के लिए 6000 मीटर की अनिवार्य परिचालन आवश्यकता के विपरीत था। सेवाओं की गुणात्मक आवश्यकताओं की पुनः संरचना का उद्देश्य, अर्थात् एकल विक्रेता की स्थिति से बचना, पूरा नहीं किया जा सका क्योंकि सेवाओं की गुणात्मक आवश्यकताओं के आधार पर की गई अधिग्रहण प्रक्रिया में एक बार फिर एकल विक्रेता की स्थिति उत्पन्न हो गई और एडब्ल्यू-101 अगस्ता वेस्टलैंड का चयन किया गया।

(पैराग्राफ 4 एवं 5)

- मार्च 2002 में ग्यारह विक्रेताओं को जारी प्रारंभिक प्रस्ताव हेतु अनुरोध को प्रधान मंत्री कार्यालय की शंकाओं के कारण निरस्त कर दिया गया, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप एकल विक्रेता वाली स्थिति उत्पन्न हो गई। 2006 के परिशोधित प्रस्ताव हेतु अनुरोध में, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए सेवाओं की गुणात्मक आवश्यकताओं को व्यापक बनाने के बजाय, उन्हें और अधिक सीमित कर दिया गया, जिसके कारण सीमित श्रेणी के हेलिकॉप्टरों के विकल्प सीमित हो गए। परिशोधित प्रस्ताव हेतु अनुरोध केवल छः विक्रेताओं को जारी किए गए थे।

(पैराग्राफ 7)

- अगस्ता वेस्टलैंड के एडब्ल्यू-101 का फील्ड मूल्यांकन परीक्षण मर्लिन एमके-3ए और सिव-01 और यात्री कैबिन का मॉक-अप प्रतिनिधि हेलिकॉप्टरों पर किया गया न कि वास्तविक हेलिकॉप्टर पर, जबकि सिकोर्स्की के वास्तविक एस-92 हेलिकॉप्टर का मूल्यांकन किया गया। फील्ड मूल्यांकन परीक्षण के चरण में भी, अगस्ता वेस्टलैंड द्वारा प्रस्तावित हेलिकॉप्टर अपने विकास के चरण में था। विभिन्न क्रियाविधियों का अनुसरण करते हुए हेलिकॉप्टरों के मूल्यांकन से वांछित आश्वासन नहीं दिया जा सका कि दोनों सूचीबद्ध विक्रेताओं को समान अवसर उपलब्ध कराया गया था।

(पैराग्राफ 8.2)

- ऐसे अनेक उदाहरण देखे गए हैं जहाँ मंत्रालय ने रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया-2006 के प्रावधानों से विचलन किया और सितंबर 2006 में प्रस्ताव हेतु अनुरोध जारी किया गया। जहाँ विचलन के लिए अनुमोदन अत्यधिक सावधानी के साथ और अपवादात्मक परिस्थितियों में ही प्राप्त किया जाना अपेक्षित था, वहाँ इस मामले में किए गए निरंतर विचलन रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया के उस मूल उद्देश्य के विपरीत हैं, जिसके लिए रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया-2006 के पैराग्राफ 75 को शामिल किया गया है।

(पैराग्राफ 11)

- अधिग्रहण प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में 10 वर्षों से अधिक समय के विलंब के कारण भारतीय वायुसेना विद्यमान हेलिकॉप्टरों पर परिचालन प्रतिकूलताओं का निरंतर सामना करती रही।

(पैराग्राफ 13)

- बेंचमार्किंग के उद्देश्य से मूल्य के औचित्य का अवधारण करने पर रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया-2006 में बल दिए जाने के बावजूद, संविदा वार्तालाप समिति द्वारा निकाला गया बेंचमार्क मूल्य (₹4871.5 करोड़) अविवेकी रूप से अधिक था और इस प्रकार

इसने मूल्य संबंधी बातचीत के लिए हेलिकॉप्टरों के प्रस्तावित मूल्य (₹3966 करोड़) के साथ तुलना हेतु कोई भी यथार्थ आधार मुहैया नहीं कराया था।

(पैराग्राफ 9)

- ₹1240 करोड़ की लागत पर 4 हेलिकॉप्टरों की अतिरिक्त अधिप्राप्ति परिहार्य थी, क्योंकि निर्धारित आवश्यकता विगत में अतिविशिष्ट व्यक्तियों को परिवहन उपलब्ध कराने वाले विद्यमान हेलिकॉप्टरों की कम उपयोगिता दर के अनुरूप नहीं थी।

(पैराग्राफ 12)

- अगस्ता वेस्टलैंड ने सात कार्यक्रमों को प्रक्षिप्त किया था, जिन्हें ऑफसेट संविदा के भाग के रूप में पूरा किया जाना था। अनुमत किए गए ऑफसेट रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया के प्रावधानों के उपयुक्त नहीं थे, इसके अतिरिक्त ऑफसेट बाध्यताओं के पालन के लिए चयनित अनेक भारतीय ऑफसेट भागीदार (आईओपी) पात्र नहीं थे।

(पैराग्राफ 14)

- आईडीएस इन्फोटेक (भारतीय ऑफसेट भागीदार) द्वारा निष्पादित की जाने वाली सेवाओं के प्रकार और निर्यात आदेशों से संबंधित ऑफसेट संविदा में अस्पष्टता थी। अगस्ता वेस्टलैंड ने इस ऑफसेट कार्यक्रम के अंतर्गत आईडीएस इन्फोटेक द्वारा 2011 से 2014 तक निष्पादित किए जाने वाले कार्य का वर्षवार ब्यौरा दिया, हालॉकि यह कार्य 2010 में संविदा करने से बहुत समय पहले ही पूरा किया गया था।

(पैराग्राफ 14)